

12

फर्द अहकाम  
अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर  
चुन्नीलाल बनाम आयुक्त,नगर निगम,भरतपुर  
किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 20 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21.03.2022	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त चुन्नीलाल पुत्र स्व0 हीरालाल जाति कुशवाह निवासी भावडा की बगीची रेल्वे स्टेशन के पास, बयाना जिला भरतपुर की अपील आयुक्त,नगर निगम, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी यह अपील आयुक्त,नगर निगम, भरतपुर के खिलाफ पेश की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयुक्त,नगर निगम, भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लौटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील महापौर, नगर निगम, भरतपुर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। वाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p>	170 24-3-22

M  
जिला कलक्टर  
भरतपुर सिज०